



विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 1381 द्वारा यादलेंद्र सिंह सदस्य विधान सभा						परिशिष्ट (अ)
क्र.	दुकान चलाने वाली सोसायटी का नाम	उचित मूल्य दुकान का स्थान	अन्य संस्था की दुकान का नाम जिस पर दुकान संबद्ध/आवृत्ति की गई	आवृत्ति/संबद्धता का कारण	आवृत्ति/संबद्धता का दिनांक	
1	सेवा सहकारी समिति, तुषगवां	परसमानिया	उचित मूल्य दुकान पिपरिया	उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक में अंतर एवं केरोसीन कम मात्रा में देने तथा रिकार्ड संधारण नहीं करने के कारण दुकान को निरस्त कर राशन सामग्री का वितरण अन्य दुकान से कराये जाने का आदेश जारी किया गया।	19-01-2018	
2	सेवा सहकारी समिति, तुषगवां	पिपरिया	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, अटरा	विक्रेता को पृथक करने के कारण संस्था द्वारा दुकान संचालन में असमर्थता व्यक्त करने से उक्त दुकान महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, अटरा को आवृत्ति की गई।	21-08-2008	
3	सेवा सहकारी समिति, तुषगवां	तुषगवां एवं आलमपुर	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, अटरा	विक्रेता को पृथक करने के कारण संस्था द्वारा दुकान संचालन में असमर्थता व्यक्त करने से उक्त दोनों दुकाने महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, अटरा को आवृत्ति की गई।	10-05-2012	
4	सेवा सहकारी समिति, तुषगवां	गढोट, पटिहट एवं रामपुराठा	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, अटरा	सेवा सहकारी समिति, तुषगवां द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालन में असमर्थता व्यक्त करने के कारण उक्त दुकानें महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, अटरा को आवृत्ति की गई।	05-03-2002	
5	सेवा सहकारी समिति, विहटा	गोबरखुर्द	मां दुर्गा महिला बहुउद्देशीय समिति, विहटा की उचित मूल्य दुकान धनेह	म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की विभिन्न कंडिकाओं का उल्लंघन होने के कारण आगामी आदेश तक मां दुर्गा महिला बहुउद्देशीय समिति, विहटा की उचित मूल्य दुकान धनेह द्वारा दुकान का संचालन करने का आदेश जारी किया गया।	19-01-2018	
6	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था, पिथोराबाद	उचित मूल्य दुकान, पोंडी	मां दुर्गा महिला बहुउद्देशीय समिति, विहटा की उचित मूल्य दुकान धनेह	उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमिता के कारण दुकान दिनांक 28-08-17 को निलंबित एवं दिनांक 17-10-2017 को निलंबन से बहाल की गई परंतु अपर कलेक्टर के यहां से दिनांक 04-12-2017 को स्थगन आदेश जारी किया गया।	28-08-2017 17-10-2017	

नोट:- दुकान संचालन में असमर्थता व्यक्त करने पर दूसरी संस्था को दुकान आवृत्ति करने पर पूनः उसे वापस करने का नियम नहीं है।


अनुभागा अधिकारी
मध्य प्रदेश राशन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग


संयुक्त संचालक,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्य प्रदेश